FORM No. III

APP
Cril

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत कलेक्टर मुकाम बसवा

गोरधन बनाम सरकार

किस्म मुकदमा LRAct 136 नं. 15 सन 2024

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	29.01.2024 प्रश्नगत दावा वादी गोरधन पुत्र पूरया जाति बलाई निवासी बसवा वगैरह द्वारा जरिये एड. श्री मुकेश चंद शर्मा व सत्यनारायण शर्मा विरूद्ध प्रतिवादीगण राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बसवा के अंतर्गत धारा 136 रा.ले.रे.एक्ट नाम दुरूस्थी इन्द्राज का पेश किया है। हमने प्रस्तुत दावे का अवलोकन किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर, प्रतिवादीगण को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड ए.डी.जारी होकर, पत्रावली दिनांक 12.03.2024 को पेश हो।	
12/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई, गत आदेश की पालना में दिनांक 29/4/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
29/4/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वकील ने आ.दी. 27-5-24 को पेश हो, पत्रावली दि. 27-5-24 को पेश हो	
27/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 13/6/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
13/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 16/7/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 13:00:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपजिला कलेक्टर उपजिला मजि. बसवा
मु.न. 15/2024
... सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर जो
18/7/24	पत्रावली पेश हुई तहसीलदार बसवा से रिपोर्ट के प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट प्रा. पत्र की प्रति पेश करने हेतु जारी होकर पत्रावली सहित पत्र जारी होकर पत्रावली दिनांक 20-8-24 को पेश हो उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा (दौसा)	
20/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से [illegible] तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 11-9-24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
11/9/24	पत्रावली पेश हुई तहसीलदार बसवा से वांछित रिपोर्ट पत्रांक 4502 दिनांक 8.8.24 के जरिये प्राप्त हुई, बहस सुनी गई, पत्रावली वास्ते निर्णय 25-9-24 को पेश हो उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा (दौसा)	
25/9/24	पत्रावली पेश हुई। निर्णय पृथक से लिखा गया, जो शामिल मिसल है, पत्रावली फैसल शुमार होकर, बाद तकमील होकर नम्बर से [illegible] उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा (दौसा)	

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा जिला दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 13:00:59 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा
जिला—दौसा

प्रकरण संख्या :— 15/2024
प्रकरण रज्जु दिनांक 29.1.2024
निर्णय दिनांक . 25.9.2024

उनवान

प्रकरण :— वास्ते 136 एल.आर.एक्ट वास्ते संशोधन हेतु वादपत्र इन्द्राज दुरस्ती

प्रकरण का उनवान

1. गोरधन पुत्र पूरया जाति बलाई निवासी बसवा तह.बसवा
2. धप्पो पुत्री पूरया जाति बलाई निवासी बसवा तह.बसवा
3. मनोहर पुत्र पूरया जाति बलाई निवासी बसवा तह.बसवा

शांति देवी पुत्री पूरया पत्नि इन्दर बलाई—फौत के बजाए

4. किशनलाल पुत्र इन्दर जाति बलाई निवासी बसवा तह.बसवा
5. कैलाश पुत्र इन्दर जाति बलाई नि. बलाई मौहल्ला, कोट, तहसील—मण्डावर जिला—दौसा
6. नर्मदा पुत्री इन्दर जाति बलाई नि. बलाई मौहल्ला, कोट, तहसील—मण्डावर जिला—दौसा
7. सुखराम पुत्र इन्दर जाति बलाई नि. बलाई मौहल्ला, कोट, तहसील—मण्डावर जिला—दौसा
8. रामबाई पुत्री इन्दर जाति बलाई नि. बलाई मौहल्ला, कोट, तहसील—मण्डावर जिला—दौसा
9. मोहन पुत्र इन्दर जाति बलाई नि. बलाई मौहल्ला, कोट, तहसील—मण्डावर जिला—दौसा

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार व लैण्ड होल्डर,बसवा

(अप्राथीगण)

—:निर्णय :—

दिनांक :—25.9.2024

प्रार्थना—पत्र वास्ते इन्द्राज दुरस्ती अंतर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहतः—
उपस्थिति :— प्रार्थीगण की ओर से एडवाकेट श्री मुकेशचंद एवं सत्यनारायण शर्मा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 13:00:59 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षिप्त [illegible] इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा में एक प्रा.पत्र वास्ते इन्द्राज दुरस्ती पेश किया । जिसके अनुसार प्रार्थीगण ग्राम बसवा पटवार हलका बसवा जिला दौसा की भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 256 पुराना 257 के खसरा नंबर 7164 रकबा 0.52 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.52 हैक्टयर भूमि मुतदाविया स्थित है । प्रार्थीगण 1 लगायत 3 के पिता व 4 लगायत 9 के नाना का सही नाम पूरया पुत्र झूंथा है तथा प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की पास बुक में जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 में प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की मां के मृत्यु प्रमाण पत्र में, प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि में प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता व 4 लगायत 9 के नाना का नाम पूरया दर्ज है, जो सही है । किंतु नामान्तकरण दर्ज करते समय प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता व 4

लगायत 9 के नाना का नाम त्रुटिपूर्वक पून्या दर्ज कर दिया जो गलत है। जबकि सही नाम पूरया है । प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक इत्यादि में भी सही नाम पूरया ही दर्ज है । ऐसी दशा में प्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में अंकित गलत नाम "पून्या" को "पूरया" करवाने के अधिकारी हैं । दिनांक 10.1.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार बसवा से नाम दुरस्त करने के लिये कहने पर उनके द्वारा मना कर दिया गया । लिहाजा वादकरण उत्पन्न हुआ है, राजस्व रिकॉर्ड में अंकित गलत नाम "पून्या" को दुरस्त कर "पूरया" अंकित किया जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार बसवा को नोटिस जारी किये गये ।

प्रकरण के क्रम में तहसीलदार बसवा से रिपोर्ट तलब की गई । तहसीलदार बसवा द्वारा उनके पत्र क्रमांक भू.अ./2024/4502 दिनांक 8.8.2024 के द्वारा जांच रिपोर्ट पेश की है कि राजस्व ग्राम बसवा की जमाबंदी संवत् 2074–77 के खाता संख्या 256 में गोरधन, मनोहर पि. पून्या व धप्पों, शांति पुत्री पून्या रिकोर्ड दर्ज है, लेकिन वादी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, आदि में वादी के पिता का नाम पूरया अंकित है, पटवारी की ग्रामवासियान की जांच अनुसार पून्या को सही नाम पूरया है । इन तथ्यों के आधार पर पटवारी ने अपनी जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बसवा की जमाबंदी संवत् 2074–77 के खाता संख्या 256 में गोरधन, मनोहर पुत्र पून्या, व धप्पो, शांति पुत्री पून्या के स्थान पर गोरधन, मनोहर, धप्पो, शांति पुत्री पूरया जाति बलाई किया जाना उचित अवगत करवाया है । पटवारी हलका बसवा सी की मूल जांच रिपोर्ट इस पत्र के संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है ।

हमने तहसीलदार बसवा की उपर्युक्त रिपोर्ट के संलग्न पटवारी हलका की मूल रिपोर्ट का अवलोकन किया, जिसमें उन्होंने अंकित किया है कि ग्राम बसवा सी के खाता संख्या 256 में अंकित नाम "पून्या" के स्थान पर "पूरया" करना उपयुक्त होगा ।

हमने प्रार्थना–पत्र 136 राज.भू.अधि.1956 का, मय दस्तावेजात का भी अवलोकन किया जिसमे ग्राम बसवा पटवार हलका बसवा जिला–दौसा में भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 256 पुराना 257 के खसरा नंबर 7164 रकबा 0.52 हैक्टयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.52 हैक्टयर भूमि में अंकित नाम "पून्या को "पूरया" किया जाना उपयुक्त पाते हैं। आधारकार्ड, फोटोपहचान पत्र, पैन कार्ड इत्यादि के अवलोकन से भी वाद पत्र में वांछित अनुतोष उपयुक्त पाया गया है।

आदेश

संपूर्ण परिवाद का अवलोकन करने के उपरांत निम्न प्रकार संशोधन राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में करने के आदेश राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत दुरस्ती हेतु आदेश प्रसारित किये जाते हैं ।

वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में अंकित प्रविष्टि			इस आदेश के द्वारा इस प्रविष्ठि में जो संशोधन करने के आदेश दिये गये हैं		
राजस्व ग्राम	खाता सं.	वर्तमान प्रविष्ठि जिसे दुरस्त करना है	राजस्व ग्राम	खाता सं.	इस आदेश के उपरांत इस प्रविष्ठि को संशोधित किया जाना है ।
1	2	3	4	5	6
बसवा	खेवट खतौनी संख्या नई 256 पुराना 257 के खसरा नंबर 7164 रकबा 0.52 हैक्टयर	1. गोरधन पुत्र पून्या 2. धप्पो पुत्री पून्या 3. मनोहर पुत्र पून्या 4. शांति पुत्री पून्या	बसवा	खेवट खतौनी संख्या नई 256 पुराना 257 के खसरा नंबर 7164 रकबा 0.52 हैक्टयर	1. गोरधन पुत्र पूरया 2. धप्पो पुत्री पूरया 3. मनोहर पुत्र पूरया 4. शांति पुत्री पूरया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 13:00:59 IST
Reason: SelfAttested

अतः वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में कॉलम संख्या 3 में अंकित प्रविष्ठि को कॉलम संख्या 6 में संशोधन अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकित किये जाने के आदेश एतद्द्वारा राज.भू.

उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)

राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रदान किये जाते हैं । शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे । तहसीलदार, बसवा को इस दुरस्ती आदेश की प्रति भेजकर आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में संशोधन करना सुनिश्चित करें ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर, नंबर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,बसवा

न्यायालय उप जिला कलेक्टर व उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा (दौसा) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 13:00:59 IST
Reason: SelfAttested

Adv
Pre by. Mukesh Sharma.
Reader Report
25/11/24

न्यायालय उपजिला कलैक्टर एव उपजिला मजि0

बसवा, जिला दौसा ।

1. गोरधन पुत्र पूरया
2. धप्पो पुत्री पूरया
3. मनोहर पुत्र पूरया

जाति बलाई निवासी बसवा तहसील बसवा जिला दौसा ।

शांति देवी पुत्री पूरया पत्नि इन्दर बलाई – फोत के बजाय

4. किशन लाल पुत्र इन्दर
5. कैलाश पुत्र इन्दर
6. नर्मदा पुत्री इन्दर
7. सुखराम पुत्र इन्दर
8. रामबाई पुत्री इन्दर
9. मोहन पुत्र इन्दर

जाति बलाई निवासी बसवा तह0 बसवा हालनिवासी बलाई मोहल्ला कोट तह0 मण्डावर जिला दौसा ।

...प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील बसवा ।

...अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0ले0रे0एक्ट

नाम दुरूस्थी इन्द्राज

महोदय,

प्रार्थना पत्र निम्नलिखित पेश है :-

1. यह है कि ग्राम बसवा पटवार हल्का बसवा जिला दौसा में भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 256 पुरानी 257 के खसरा नम्बर 7164 रकबा 0.52 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.52 है0 वार्षिक लगान 8 रूपये 32 पैसे स्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 13:00:59 IST
Reason: SelfAttested

मनोहरलाल बलाई गोरधन धप्पो
अ.नि. शांति — किशन सुखराम मोहन रामबाई
कैलाश

है दोनो खातो को आगे चलकर भूमि मुतदाविया के नाम से सम्बोधित किया जावेगा ।

2. यह है कि प्रार्थीगण स0 1 ला0 3 के पिता व 4 ला0 9 के नाना का सही नाम पूरया पुत्र झूँथा है तथा प्रार्थीगण स0 1 ला0 3 की पास बुक में जमाबन्दी सम्वत 2066 से 2069 में प्रार्थीगण स0 1 ला0 3 की मां के मृत्यु प्रमाण पत्र में, प्रार्थीगण स0 1 ला0 3 के पहचान पत्र आधार कार्ड, राशन कार्ड, आदि मे प्रार्थीगण स0 1 ला0 3 के पिता व 4 ला0 9 के नाना के का नाम पूरया दर्ज है है जो सही है ।

3. यह है कि भूमि मुतदाविया वर्णित पैरा नं0 1 प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण स. 1ला0 3 का नामान्तकरण दर्ज करते समय राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण स0 1 ला0 3 के पिता व 4 ला0 9 के नाना का गलत नाम पून्या दर्ज कर दिया जो कि गलत है जबकि प्रार्थीगण स0 1 ला0 3 के पिता व 4 ला0 9 के नाना का सही नाम पूरया है प्रार्थीगण 1 ला0 3 के आधारकार्ड, पेन कार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र, बैक पास बुक, आदि दस्तावेजात में प्रार्थीगण स0 1 ला0 3 के पिता व 4 ला0 9 के नाना का सही नाम पूरया दर्ज है जो सही है । प्रार्थीगण स0 1 ला0 3 की भूमि की पास बुक में जमाबन्दी सम्वत 2066 से 2069 में प्रार्थीगण स0 1 ला0 3 की मां के मृत्यु प्रमाण पत्र में, प्रार्थीगण के पहचान पत्र आधार कार्ड, राशन कार्ड, आदि मे प्रार्थीगण के पिता का नाम पूरया दर्ज है है जो सही है तथा प्रार्थी न्यायालय हाजा से इस अमर की दुरूस्थी अपने हक में करवाने के अधिकारी है कि प्रार्थीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो रहे प्रार्थी स0 1 ला0 3 के पिता व 4 ला0 9 के नाना का गलत नाम पून्या दर्ज है उसको हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड वर्णित पैरा नं0 1 में प्रार्थीगण स0 1 ला0 3 के पिता व 4 ला0 9 के नाना सही नाम पूरया दर्ज किया जावे इस अमर की दुरूस्थी की प्रार्थीगण न्यायालय हाजा से अपने हक में प्राप्त करने का अधिकारी है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 13:00:59 IST
Reason: SelfAttested

4. यह है कि प्रार्थीगण को राजस्व रिकार्ड मे हो रहे अपने पिता/नाना के गलत नाम की पूर्व में कोई जानकारी नही रही है प्रार्थीगण को अपने पिता/नाना का नाम गलत होने की जानकारी सर्व प्रथम अपनी भूमि पर किसान केडिट कार्ड बनवाने के लिये दिनांक 10/1/2024 को भूमि की जमाबंदी रिकोर्ड आदि की नकल प्राप्त करने के लिये हल्का पटवारी के पास जाने पर हल्का पटवारी के द्वारा गलत नाम दर्ज होने की जानकारी दी इससे पूर्व प्रार्थीगण को अपने पिता/नाना पूरया का नाम गलत दर्ज हो रहे नाम की कोई जानकारी नही रही है ।

5. यह है कि प्रार्थीगण ने अपने नाम की दुरूस्थी करवाने के लिये अप्रार्थी संख्या 1 के यहां पर दिनांक 10/1/2024 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने की हिदायत देकर भेज दिया व प्रार्थना पत्र को लेने से इंकार कर दिया व नाम दुरूस्थ नही किया इस कारण प्रार्थी के पास सिवाय प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई चारा नजर नही आया इस कारण प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया है।

6. यह है कि बिनाय दावा व बिनाय मुखास्तमत दिनांक 10/1/2024 को अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थी के नाम दुरूस्थ करने की मना करने से अन्दर हदूद न्यायालय हाजा पैदा हुयी है इसलिये प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश है ।

7. यह है कि सकूनत फरीकेन व स्थिति भूमि मुतदाविया/रिकोर्ड न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से अन्दर हदूद न्यायालय हाजा होने के कारण अखित्यार समाअत मुकदमा हाजा न्यायालय हाजा को प्राप्त है।

8. यह है कि हम चूँ किरम के प्रार्थना पत्र के बिल मुक्ता कोर्ट फीस प्रत्येक इस्तदुआ के लिये 2/—रुपये मुकर्रर होने के कारण प्रार्थना पत्र दो रुपये कोर्ट फीस पर पेश है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 13:00:59 IST
Reason: SelfAttested

अ.मि मनोहर लाल बलाई

किसमन सुरजाराम मोहन

कैलाश

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि भूमि मुतदाविया वर्णित पैरा नं0 1 प्रार्थना पत्र जिसका नामान्तकरण खोलते समय प्रार्थीगण स0 1 ला0 3 के पिता व 4 ला0 9 के नाना घर में बोलता नाम पूरया की जगह पून्या राजस्व अधिकारीयों ने नामान्तकरण दर्ज करते समय राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया जो कि गलत है जबकि प्रार्थीगण स0 1 ला0 3 के आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजात व पेनकार्ड आदि सभी दस्तावेजात में प्रार्थी के पिता/नाना का नाम पूरया दर्ज है जो सही है को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे । प्रार्थीगण का राजस्व रिकार्ड में हो रहे पिता/नाना का गलत नाम **पिता का नाम पून्या** को **हजफ** किया जाकर **प्रार्थी के पिता का नाम पूरया** दर्ज किया जावे इस अमर की दुरूस्थी प्रार्थी न्यायालय हाजा से अपने हक में प्राप्त करने का अधिकारी है । अन्य दादरसी जो करीने इंसाफ बहक प्रार्थी हो और अता फरमायी जावें ।

मनोहर लाल बलाई

दिनांक 25/1/2024

ह0 प्रार्थीगण

गोरधन, मनोहर पुत्रान पूरया

धप्पो, पुत्री पूरया

जाति बलाई निवासी बसवा, तह0 बसवा

किशन लाल, कैलाश,सुखराम, मोहन पुत्रान इन्दर

,रामबाई पुत्रीयां इन्दर, जाति बलाई निवासी

बसवा तह0 [illegible] मोहल्ला कोट

तहसील मण्डावर जिला [illegible] ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 13:00:59 IST
Reason: SelfAttested

किशन

सुखराम मोहन

कैलाश

न्यायालय उपजिला कलैक्टर एव उपजिला मजि0

बसवा, जिला दौसा ।

मनोहर आदि   बनाम   सरकार

प्रार्थना पत्र स्थगन आदेश

शपथ पत्र

मैं मनोहर पुत्र पूरया उम्र साल जाति बलाई निवासी बसवा तहसील बसवा जिला दौसा राज0 का हूँ जो कि सशपथ बयान करता हूँ कि::—

1. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं0 1 ला0 8 मेरे निजि ज्ञान से एव बमशविरे कानूनी के सही एवं दुरूस्थ है ।
2. यह है कि प्रार्थना पत्र के साथ उक्त शपथ पत्र को प्रार्थना पत्र का अंग माना जावे एव अडोप्ट एव रिपीट किया हुआ माना जाकर प्रार्थना पत्र के साथ ही पढा सुना व समझा जावे ।
3. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं0 1 ला0 8 को पढ सुन व समझ कर सही होना स्वीकार करता हूँ ।

अतः शपथ पत्र पेश है ।

मनोहर लाल बलाई

दिनांक –25/1/2024   ह0 शपथ कर्ता

मै मनोहर लाल शपथ कर्ता सशपथ सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र का पैरा नं0 1 ला0 3 मेरे निजी ज्ञान से सही एव दुरूस्थ है ईश्वर मेरा साक्षी है ।

मनोहर लाल बलाई

दिनांक –25/1/2024   ह0 सत्यापक

Oath Commissioner
M.C. Sharma
Advocate
LL.B, D.L.L
Reg. No.-2066/2017
Bandikui (Dausa) Raj.

ATTESTED
Oath. Commissioner Bandikui

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 13:00:59 IST
Reason: SelfAttested